भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/27/2026 – डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 28.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. सीवीडी (एसएसआर) – 0001/ 2026

विषय: मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉपर ट्यूब और पाइप के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की निर्णायक समीक्षा

1. **फा. सं. 7/27/2026:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) प्रावधानों के अंतर्गत, मैसर्स राम रत्न वायर्स लिमिटेड और मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'कॉपर ट्यूब और पाइप' (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तुएं" या "पीयूसी" के रुप में कहा गया है) के आयातों पर अधिरोपित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की मांग करते हुए' निर्दिष्ट प्राधिकारी' (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. अधिनियम की धारा 9 (6) और सीवीडी नियमावली के नियम 24 (3) के अनुसार, अधिरोपित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, यदि पहले प्रतिसंहृत (वापस) न किया गया हो, तो ऐसे अधिरोपण की तिथि से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, और प्राधिकारी से यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या उक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की

समाप्ति से सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करे कि क्या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को निरंतर अधिरोपित रखने की आवश्यकता है, और क्या शुल्क की समाप्ति से सब्सिडीकरण और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

3. सीवीडी नियमावली के नियम 6(5) और नियम 6क(1) तथा सब्सिडी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार ("एससीएम करार") के अनुच्छेद 13 के अनुसार, थाईलैंड और वियतनाम की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ क्रमशः 31.08.2026 और 07.09.2026 को जाँच-पूर्व परामर्श आयोजित किए गए, जिन्होंने लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए। मलेशिया सरकार को भी जांच शुरुआत-पूर्व परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था; तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

4. थाईलैंड सरकार ने तर्क दिया कि आवेदन से सब्सिडीकरण और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना स्थापित नहीं होती, विशेष रूप से इसलिए कि अन्य कार्यवाहियों के निष्कर्षों पर निर्भरता अनुचित थी। उसने थाईलैंड से आयात में गिरावट, घरेलू उद्योग की वृद्धि, तथा इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि संबद्ध आयातों में वियतनाम का बड़ा हिस्सा है। वियतनाम सरकार ने भी इसी प्रकार तर्क दिया कि सब्सिडीकरण और क्षति का जारी रहना स्थापित नहीं हुआ है, और वियतनाम से आयात में गिरावट तथा घरेलू उद्योग के विस्तार, निवेश और लाभप्रदता का उल्लेख किया। उसने आयात में कथित उछाल को भी चुनौती दी और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए निविष्टि (इनपुट) लागत में वृद्धि से संबंधित चिंताएँ उठाईं। तथापि, किसी भी सरकार ने प्रतिसंतुलित सब्सिडी कार्यक्रमों के बंद होने को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। संबद्ध देशों की सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की जाएगी।

क. <u>विगत जांच की पृष्ठभूमि</u>

5. 'निर्दिष्ट प्राधिकारी' द्वारा अपनी जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 04/10/2020-डीजीटीआर के तहत दिनांक 25.09.2020 को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल सब्सिडीरोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद, 'निर्दिष्ट प्राधिकारी' ने अपनी दिनांक 31.01.2022 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 04/10/2020 - डीजीटीआर के तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। 'निर्दिष्ट प्राधिकारी' की सिफारिशों को दिनांक 28.04.2022 की अधिसूचना सं.

2/2022- सीमाशुल्क (सीवीडी) के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दिनांक 27.04.2027 तक लागू है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

6. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कॉपर ट्यूब और पाइप" हैं। कॉपर ट्यूब और पाइप बेलनाकार (सिलिंड्रिकल) आकार के होते हैं जिनका क्रॉस-सेक्शन गोल, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार आदि हो सकता है। कॉपर ट्यूब और पाइप रिफाइंड कॉपर या कॉपर अलॉय (मिश्र धातु) से बनाए जा सकते हैं। कॉपर ट्यूब और पाइप का उपयोग मुख्य रूप से एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन (एसीआर) सिस्टम में किया जाता है। एसीआर सिस्टम में प्रयोग होने वाले इस उत्पाद की 90% से अधिक खपत रिफाइंड कॉपर से बने गोल क्रॉस-सेक्शन वाले ट्यूब और पाइप की होती है।

7. विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल जांच में परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार, विचाराधीन उत्पाद में आंतरिक खांचेदार कॉपर ट्यूब ("आईजीटी") और इसी तरह के खांचेदार ट्यूब शामिल नहीं हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 74 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह देखने में आया है कि आयात डेटा के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं को टैरिफ वर्गीकरण के तहत **8-** डिजिट स्तर पर उप शीर्ष 74111000, 74112100, 74112200 और 74112900 में आयात किया जाता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है तथा सभी परिस्थितियों में उत्पाद का विवरण ही मान्य होगा।

9. आवेदकों ने कोई उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति प्रस्तावित नहीं की है।

10. तथापि, इस जांच में शामिल पक्षकार विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और जांच की शुरूआत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो का प्रस्ताव कर सकते हैं। बिना औचित्य बताए किए गए सुझावों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ग. <u>समान वस्तु</u>

11. आवेदक ने यह कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं में कोई विशेष अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु और मलेशिया, थाईलैंड एवं वियतनाम से आयात की गई संबद्ध वस्तुएं की

तुलना भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद की विशिष्टताएं, कीमत, वितरण और विपणन, तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर की जा सकती है। संबद्ध वस्तुएं और आवेदकों द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग मे लाई जा सकती हैं। आवेदकों का यह दावा है कि विचाराधीन उत्पाद के ग्राहक संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं का उपयेग एक-दूसरी के स्थान पर कर रहे हैं। इसलिए, इस जांच की शुरुआत के प्रयोजन से, जांच टीम का यह मानना है कि आवेदक द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

12. सीवीडी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

> *"'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य है एक जैसी वस्तु बनाने वाले सभी घरेलू उत्पादकों या ऐसे घरेलू उत्पादकों से है जिनका उस वस्तु का कुल उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब जब ऐसे उत्पादक कथित सब्सिडी वाली वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों, या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा"*

13. यह आवेदन मैसर्स राम रत्न वायर्स लिमिटेड (आरआरडब्ल्यूएल) और मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमसीआईपीएल) ने दायर किया है। आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में लगभग 68 अन्य उत्पादक हैं, जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन दायर किए जाने के पश्चात प्राधिकारी को आठ और घरेलू उत्पादकों, अर्थात् मैसर्स त्रिशूल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मर्क्यूर मेटल्स एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, कच्छ कॉपर ट्यूब्स लिमिटेड, मैसर्स स्टार कॉपर, मैसर्स जय बनास मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू इंडिया एक्सट्रूज़न्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मेटल जेम्स और मेहता ट्यूब्स लिमिटेड से समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी समर्थन पत्रों की जाँच करने के पश्चात यह नोट किया गया है कि सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक, समर्थक उत्पादकों के साथ मिलकर, कुल घरेलू उत्पादन के एक बड़े अनुपात का गठन करते हैं।

14. आरआरडबल्यूएल ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातक से

संबंधित नहीं हैं। यह नोट किया गया है कि एमसीआईपीएल की मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद की एक संबंधित समूह उत्पादक इकाई है, जिसका नाम मेटट्यूब (इंटरनेशनल) एसडीएन. बीएचडी. है। एमसीआईपीएल ने जाँच अवधि के दौरान इस इकाई से कुछ ऐसी वस्तुओं का आयात किया है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं, किंतु जाँच अवधि के दौरान वहाँ से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

15. जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी का यह मत है कि आवेदक सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. <u>सब्सिडी कार्यक्रम</u>

16. आवेदको ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को उन देशों की सरकारों और अन्य 'सार्वजनिक निकायों' द्वारा विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ मिला है। आवेदकों ने संबद्ध सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों के उन कानूनों, नियमों, विनियमों और अन्य अधिसूचनाओं का सहारा लिया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

17. आवेदकों ने उन स्कीमों/कार्यक्रमों पर भरोसा किया है जिन्हें मूल जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंतुलनीय माना गया था, और निर्णायक समीक्षा आवेदन में किसी नए कार्यक्रम/स्कीम का प्रस्ताव नहीं किया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध देशों की संबंधित सरकारों और/अथवा अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त, नीचे सूचीबद्ध इन सब्सिडियों का लाभ मिलना जारी रहा है।

<u>क. मलेशिया</u>

कार्यक्रम सं. 1 - मार्केट डेवलपमेंट ग्रांट

कार्यक्रम सं 2 - साइंस फंड

कार्यक्रम सं 3 - टेक्नो फंड

कार्यक्रम सं 4 - इनो फंड

कार्यक्रम सं 5 - क्रैडल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम

कार्यक्रम सं 6 - एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्रोग्राम

कार्यक्रम सं 7 - एक्सपोर्ट क्रेडिट रीफाइनेंसिंग

कार्यक्रम सं 8 - बायर क्रेडिट गारंटी

कार्यक्रम सं 9 - पायनियर स्टेटस

कार्यक्रम सं 10 - इन्वेस्टमेंट टैक्स पॉलिसी/ इन्वेस्टमेंट टैक्स अलाउंस (आईटीए)

कार्यक्रम सं 11 - रीइन्वेस्टमेंट अलाउंस (आरए)

कार्यक्रम सं 12 - एक्सीलरेटेड कैपिटल अलाउंस (एसीए)

कार्यक्रम सं 13 - ग्रुप रिलीफ

कार्यक्रम सं 14 - टैरिफ संबंधी प्रोत्साहन/ कच्चे माल पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम सं 15 - इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलाउंस (आईबीए

कार्यक्रम सं 17- मलेशियाई ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए करयोग्य लाभ से दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 18 - ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ईसीईआर) में विनिर्माण और उससे जुड़ी सेवा के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 19 - आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रॉबैक

कार्यक्रम सं 20 - आउटसोर्सिंग विनिर्माण गतिविधियों के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम सं 21 - मशीनरी और उपस्कर पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट

कार्यक्रम सं 22 - कच्चे माल/ उपस्कर पर आयात शुल्क से छूट

कार्यक्रम सं 23 - निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करयोग्य लाभ से दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 25 - छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 26 - बढ़े हुए निर्यात के लिए अनुमति

कार्यक्रम सं 27 - मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातकों के लिए कर छूट

कार्यक्रम सं 28 - रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड

कार्यक्रम सं 29 - इन-हाउस आर एंड डी के लिए कर प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं 30 - रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं 31 - सावधि ऋण

कार्यक्रम सं 32 - छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए रियायती ऋण

कार्यक्रम सं 33 - इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट सेंटर (आईपीसी)

कार्यक्रम सं 34 - उचित मूल्य से कम (एलटीएआर) पर प्राकृतिक गैस/ बिजली की सुविधा

ख. थाईलैंड

कार्यक्रम सं. 2: मशीनरी पर आयात शुल्क में छूट/ कमी - इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट की धारा 28

कार्यक्रम सं. 3: आयकर में छूट

कार्यक्रम सं. 4: इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ज़ोन से जुड़ी छूट

कार्यक्रम सं. 5: निर्यात के लिए उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में आयात शुल्क में छूट

कार्यक्रम सं. 6: कच्चे माल या जरुरी सामग्री के लिए आयात शुल्क में कमी

कार्यक्रम सं. 7: बीओआई - संवर्धित गतिविधियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर में छूट

कार्यक्रम सं. 8: इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ज़ोन में कॉर्पोरेट आयकर में 50 प्रतिशत की कमी

कार्यक्रम सं. 9: संवर्धित ज़ोन में ट्रांसपोर्टेशन, बिजली और पानी की आपूर्ति की लागत पर आयकर में दोहरी कटौती

कार्यक्रम सं. 10: सुविधाओं को लगाने या बनाने की लागत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत छूट

कार्यक्रम सं. 11: टैक्स और शुल्क का मुआवज़ा/ टैक्स कूपन

कार्यक्रम सं. 12: बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए आयात/ निर्यात शुल्क में छूट

कार्यक्रम सं. 13: देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गतिविधियों, और ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जिनमें उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मूल्य वर्धन किया जाता है और थाईलैंड में पहले से बहुत कम या कोई निवेश नहीं है

कार्यक्रम सं. 14: हाई टेक्नोलॉजी वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन जो देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं, और जिनमें थाईलैंड में पहले से कुछ निवेश मौजूद हैं

कार्यक्रम सं. 15: प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए मेरिट आधारित प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं. 17: संवर्धन से जुड़ी सुविधाएं

कार्यक्रम सं 18: सीमा शुल्क कानूनों की धारा 19 के तहत शुल्क ड्रॉबैक

कार्यक्रम सं. 19: सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय X के तहत मुक्त व्यापार ज़ोन (एफटीएच) कार्यक्रम सं. 20: औद्योगिक संपदा कानून के तहत निर्यात प्रसंस्करण ज़ोन (ईपीजेड)

कार्यक्रम सं 21 - उचित मूल्य से कम (एलटीएआर) पर बिजली की सुविधा

ग. वियतनाम

कार्यक्रम सं. 1: डिक्री 24 के अध्याय V के तहत आयकर में छूट (उद्यम आयकर कानून का कार्यान्वयन)

कार्यक्रम सं. 2: कच्चे माल के लिए आयात शुल्क से छूट या उसकी प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. 3: कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर से छूट

कार्यक्रम सं. 4: निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना

कार्यक्रम सं. 5: निर्यात संवर्धन कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 6: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक से निर्यात ऋण

कार्यक्रम सं. 7: निर्यात सहायता ऋण

कार्यक्रम सं. 8: निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देना

कार्यक्रम सं. 9: निवेश क्रेडिट ऋण की ब्याज दर

कार्यक्रम सं. 10: छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम स्थापित करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सहायता

कार्यक्रम सं. 11: वियतिन बैंक द्वारा वित्तीय गारंटी

कार्यक्रम सं. 12: डिक्री 142 के तहत बढ़ावा दिए जाने वाले उद्योगों या औद्योगिक ज़ोन में उद्यमों के लिए भूमि से जुड़ी सुविधाएं

कार्यक्रम सं. 13: सरकार द्वारा कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना और भूमि व पानी के किराए में छूट या कमी

कार्यक्रम सं. 14: कम कीमत पर बिजली/कोयला/प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराना

18. यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि इनमें संबद्ध देशों की सरकारों या ऐसे देशों की अन्य क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों, जिनमें सार्वजनिक निकाय भी शामिल हैं, की ओर से वित्तीय योगदान शामिल है और इनसे प्राप्तकर्ता को लाभ मिलता है। यह भी आरोप है कि ये योजनाएं कुछ विशेष उद्यमों या उद्यमों के समूहों और/ या उत्पादों और/ या क्षेत्रों तक ही सीमित हैं और इसलिए ये 'विशिष्ट' हैं और इन पर 'प्रतिसंतुलनकारी शुल्क' लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में यह भी आरोप है कि ये योजनाएं आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू वस्तुओं के इस्तेमाल और/ या निर्यात के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं।

19. उत्पादकों/ निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी ऐसी अन्य सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी दें जिसका कि उन्होंने लाभ उठाया हो। जांच के दौरान, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसी अन्य सब्सिडी/ कार्यक्रमों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित

है, जिनके बारे में पता चल सकता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों ने उनका लाभ उठाया है।

च. सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना

20. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में सब्सिडीकरण और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। यह संबद्ध आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभावों (जिनमें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम कीमत पर बिक्री शामिल है), उत्पादन क्षमता के कम उपयोग, घटती लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर घटती आय, तथा वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन और व्यवहार्यता पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव जैसे कारकों पर आधारित है।

छ. जांच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दिए गए विधिवत प्रमाणित साक्ष्य सहित आवेदन के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से संतुष्ट होने के बाद, जो कि सब्सिडी और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को साबित करते हैं, प्राधिकारी इसके द्वारा 'निर्णायक समीक्षा' जांच शुरू कर रहे हैं। इसका प्रयोजन संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को जारी रखने की ज़रूरत की समीक्षा करना और यह जांचना है कि क्या मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की समय-सीमा समाप्त होने से सब्सिडी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह जांच अधिनियम की धारा 9 और प्रतिसंतुलनकारी नियमावली (सीवीडी) के नियम 24 के अनुसार की जाएगी।

ज. संबद्ध देश

22. यह जांच मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में विचाराधीन उत्पाद पर कथित सब्सिडी दिए जाने से संबद्ध है।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

23. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 (12 माह) है। क्षति की अवधि में जांच की अवधि तथा 2022-23, 2023-24 और 2024-25 शामिल हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

24. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 31.01.2022 की अधिसूचना सं. 4/10/2020-डीजीटीआर के तहत प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकारी इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यदि लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त हो जाता है, तो क्या सब्सिडी और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

25. इस मौजूदा समीक्षा में नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुति

26. इस जांच के लिए समस्त सूचना, प्रश्नावली और अनुरोधों को केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और वे इस अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर होने चाहिए। सभी संचार केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही 'निर्दिष्ट प्राधिकारी' को भेजे जाने चाहिए और वे इस अधिसूचना तथा संबंधित अधिसूचनाओं में बताई गई समय-सीमा के भीतर होने चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते है।

27. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी समस्या के मामले में, https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर दिए गए विवरण के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क पर संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से सभी संचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर पंजीकृत नाम और उपरोक्त संबंधित केस आईडी के तहत प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हितद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुरोध का सर्चयोग्य विवरण पीडीएफ/ एमएस- वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस- एक्सल फॉर्मेट में हों, जिनमें गणना को ठीक से लिंक किया गया हो।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनके बारे में पता है कि वे संबद्ध वस्तुओं से जुड़े हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना उसी रूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में दर्शाया गया है।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच से संबंधित अपना अनुरोध उसी रूप और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में दर्शाया गया है, और यह अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना में बताई गई समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी अनुरोध का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे जांच से जुड़ी जानकारी और आगे की प्रक्रियाओं के बारे में अद्यतन रहने के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें और साथ ही, वे समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं जैसे कि प्रश्नावली के फ़ॉर्मेट, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक के शेड्यूल, मौखिक सुनवाई की सूचना, सूचना के प्रकटन, शुद्धि पत्र, संशोधन की सूचनाएं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी ही अन्य जानकारी के संबंध में भी जानकारी रखें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

32. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकार के पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक प्रस्तुति का गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) दोनों संबंधित निर्दिष्ट कॉलमों में अपलोड किए जाएँ। यह सूचना सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, उस तिथि से 37 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए जिस तिथि को आवेदकों द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाता है या संबद्ध देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाता है। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर

कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, या प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

33. सभी संबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित और अपने हित की पकृति बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें।

34. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दाखिल करने की 15 दिनों की अवधि, उपरोक्त पैरा 29 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

35. यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी या पीसीएन के तरीके में ऐसा बदलाव करती है जो पहले नहीं बताया गया था या इस अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह अतिरिक्त समय बदले हुए पीयूसी / पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। यह अतिरिक्त समय तब लागू नहीं होगा जब प्रक्रिया शुरू होने के बाद पीयूसी या पीसीएन के तरीके में कोई बदलाव न हो। सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, यदि 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया हो, तो उसके बाद और समय बढ़ाने के अनुरोधों पर सामान्य तौर पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय आपवादिक मामले में।

36. समय सीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबद्ध पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से, उपरोक्त पैरा 29 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा। उस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

37. जब इस जांच में शामिल कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी देता है, तो उस पक्षकार को सीवीडी नियमावली के नियम 8 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित व्यापार सूचना के अनुसार, उसी समय उस सूचना का अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा।

38. ऐसी सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्परूट रुप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकन होना चाहिए। बिना ऐसे अंकन के प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी को प्राधिकारी "अगोपनीय" जानकारी मानेगे और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना देखने की अनुमति दे सकते है।

39. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या वह अन्य जानकारी होगी जिसे जानकारी देने वाला गोपनीय बताता है। जिस जानकारी के बारे में दावा किया जाता है कि वह गोपनीय प्रकृति की है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उसके लिए जानकारी देने वाले को दी गई जानकारी के साथ एक ठोस कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को सूचीबद्ध किया गया हो या जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो वहां रिक्त स्थान छोड़ दिया गया हो। साथ ही, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उसका उचित और पर्याप्त सारांश भी दिया जाना चाहिए।

41. अगोपनीय सारांश में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मुख्य भाग को ठीक से समझा जा सके। हालाँकि, विशेष मामलों में, गोपनीय जानकारी देने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए कारणों का एक विवरण भी देना होगा जिसमें 'नियमावली, 1995' के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्र्‍यापार सूचना के अनुसार पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

42. हितबद्ध पक्षकार इस जाँच शुरुआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित, प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से 7 दिनों के भीतर आवेदकों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

43. बिना किसी सार्थक अगोपनीय पाठ या नियमावली के नियम 8 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण बताए और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के बिना, गोपनीयता के दावे पर किया गया कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

44. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी को यह लगता है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत करने या सारांश रुप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

45. प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की ज़रूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद, प्राधिकारी ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशेष प्राधिकार के बिना इसे किसी भी पक्षकार को नहीं बताएंगे।

46. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारो की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से यह अनुरोध भी किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ और अन्य जानकारी सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. <u>असहयोग</u>

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित समय के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर या बाद में अलग से संचार के माध्यम से दिए गए समय के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने से इंकार करता है या अन्यथा सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और मौजूदा तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 28-09-2026 14:44:51

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी